न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -दो/२०१६ निगरानी

ओमकार पुत्र छुटटी

निवासी ग्राम इन्दार, तहसील- कोलारस

जिला - शिवपुरी -------- आवेदक

विरुद्ध

१.भीकम २.रामसिंह ३. कल्लू पुत्रगण वसीटा

४. देवेन्द्र ५. रिंकू पुत्रगण ग्यासी

६. रीता बेवा ग्यासी

७. संग्राम सिंह पुत्र गुलाब सिंह

८. गजराजसिंह ९. गोपाल पुत्रगण गोविन्दलाडरिया

१०. गुड्डी पत्नी हरनारायण

समस्त निवासीगण ग्राम- इन्दार तहसील-

कोलारस, जिला- शिवपुरी ---- अनावेदकगण

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक १६२//०१४-१५ अपील में पारित आदेश दिनांक २७-०७-२०१६ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता १९५९.

माननीय न्यायालय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है:-

१. यह कि,अधिनस्थ अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय महोदय के विवादित आदेश अवैध अनुचित एवं अभिलेख के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

२. यह कि, आवेदक का विवादित खाते में १/३ स्वत्व है, अपीलीय न्यायालयों ने खाता क्रमांक ३२७ के भूमिस्वामियों का अवलोकन किये बिना विवादित आदेश पारित किये है. ग्राम - इन्दार के खाता क्रमांक ३२७ में ६ सर्वे क्रमांक है, इस खाते में आवेदक के पिता छूटटी का १/३ भाग था. खाते

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2715–दो/16 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–12–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 वाजपेयी एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 192/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 27–7–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसीलदार बदरवास के समक्ष ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम इन्दार स्थित भूमि कुल किता 6 कुल रकवा 1.40 हे0 में ओमकार पुत्र छुट्टी, शान्ती पुत्री छुट्टी एवं मेवा बेवा छुट्टी गडरिया सभी का 1/3 हिस्सा होकर भूमिस्वामी हैं। आवेदक की मां बहन फोत हो चुके हैं उसका वर्ष 1993–94 में उक्त भूमि का बंटवारा नामांतरण पंजी कमांक 33/03–8–94 में आदेश दिनांक 8–9–94 को समान भाग पर किया जाकर पटवारी अभिलेख में इन्द्राज किया गया। राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम भूलवश छूट जाने पटवारी अभिलेख में नाम दर्ज किया जाये। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 11/13–14/अ–6–अ दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की तथा प्रकरण में आये तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर आदेश दिनांक 29–5–14 को आवेदक का नाम दर्ज	

करने के आदेश दिये। अनावेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 20–2–15 के द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 27–7–16 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक का विवादित खते में 1/3 स्वत्व है तथा आवेदक की दो बहनों एवं मां का नाम 1/3 भाग के भूमिस्वामी के रूप में अंकित था। पक्षकार द्वारा खसरे की सत्यप्रतिलिपि की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गई है जिनमें ओंकार, शांति एवं विधवा छुट्टि का खाते में 1/3 भाग होना प्रमपाणित है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने अभिलेख अवलोकन किये बिना निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमियां का बटवारा बंटवारा नामांतरण पंजी क्रमांक 33/03–8–94 में आदेश दिनांक 8–9–94 को समान भाग पर किया जाकर पटवारी अभिलेख में इन्द्राज किया गया था जिसका इन्द्राज छूट जाने से आवेदक द्वारा इन्द्राज हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा इन्द्राज दर्ज करने में विधिसंगत कार्यवाही की थी। परन्तु दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधि की मंशा के विपरीत निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है। अतः

निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाये।

5/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक द्वारा फर्जी बटवारे के आधार पर अपना नाम इन्द्राज करा लिया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने उचित ही निरस्त किया है जिसे अपर आयुक्त ने भी सही पाया है। यह भी तर्क किया यदि वर्ष 1993 में बटवारा हो गया था तब इतने समय बाद नाम इन्द्राज कराने का आवेदन क्यों प्रस्तुत किया गया। मूल नामांतरण पंजी उपलब्ध न होना संदेहपूर्ण होने से तहसीलदार का आदेश निरस्ती करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आदेश की प्रति का अवलोकन किया। प्रकरण में उपलब्ध खसरों के प्रति एवं भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील में बंटवारा पक्षकारों की सहमति के बाद नामांतरण पंजी कमांक 33/03–8–94 में आदेश दिनांक 8–9–94 को प्रश्नाधीन भूमि समान भाग पर किया जाकर पटवारी अभिलेख्ख में इन्द्राज किया गया। आवेदक का प्रश्नाधनीन भूमि पर भूलवश इन्द्राज छूट जाने से जानकारी होने पर नाम इन्द्राज हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। चूंकि आवेदक प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत इस्तहार प्रकाशन कराया जिसपर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अनावेदकों को सूचना

जिला शिवपुरी

प्रकरण कमांक निगरानी 2715—दो / 16

जारी हुई परन्तु अनावेदकों की ओर उनके अभिभाषक ने केवल यही आपत्ति ली गई कि फर्जी बटवारा कराकर आवेदक अपन नाम इन्द्राज कराना चाहता है। प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी के पश्चात तीनों सहभूमिस्वामियों के नाम 1/3 भाग पर बंटवारा/नामांतरण स्वीकृत किया गया है। तीनों सहभूमिस्वामियों को समान भाग पर हुये बटवारा नामांतरण आदेश को किसी भी अनुचित एवं अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। यह प्रकरण मात्र पूर्व में हुये बंटवारा नामांतरण आदेश के पश्चात नाम इन्द्राज छूट जाने से उसका इन्द्राज कराने के संबंध में था, जिसपर तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत किया है, जिसे कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दोनों अपीलीय न्यायालयों ने महत्वपूर्ण तथ्य एवं अभिलेख को अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी कोलारस का आदेश दिनांक 20—2—15 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 27—7—16 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार बदरवास का आदेश दिनांक 29—5—14 का आदेश यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य